प्रकरण संख्या 13/2019 RCMS ID-2019/00153 तारीख रजु–14.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

रमेश चंद पुत्र चतराराम जाट, निवासी बाजना खुर्द, तहसील हिण्डौन जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

सरकार – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–07.10.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रमेश चंद पुत्र चतराराम जाट, निवासी बाजना खुर्द, तहसील हिण्डौन जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश न्याय/08/8016 दिनांक 13.11.2008 जिसके द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 6216/93/J&K निरस्त किया गया है के विरूद्ध अपील संख्या 76/09 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 28.02.2011 को निर्णय पारित करते हुये अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलार्थी को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब की गई जिसके प्रत्युत्तर में थानाधिकारी सूरौठ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 3901 दिनांक 12.07.2019 शामिल पत्रावली की गई।

बहस के दोरान अपीलार्थी ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि उनका शस्त्र दिनांक 25.12.2007 से ही थाना सूरौठ में जमा था। थानाधिकारी हिण्डौन द्वारा शस्त्र जमा नहीं कराये जाने के जो सूचना प्रेषित की गई, वह विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक : 13.11.2008 अपास्त योग्य है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने का कथन किया है।

उभयपक्ष की बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मुददों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन एवं विधानसभा आम चुनाव 2008 में कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। अपीलार्थी द्वारा सूचना के उपरान्त शस्त्र जमा नहीं कराये जाने पर इनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही रखा जाने का कथन किया है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय दिनांक 05.06.2008 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलंबित कर शस्त्र जमा करवाने बाबत् आदेश जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र जमा नहीं करवाने की थानाधिकारी हिण्डौन की रिपोर्ट के

जिला कलक्टर
करौली

आधार पर दिनांक 13.11.2008 को अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था जबकि थानाधिकारी सूरौठ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 3901 दिनांक 12.07.2019 के अनुसार अपीलार्थी का शस्त्र दिनांक 25.12.2007 से आदिनांक तक थाना सूरौठ के मालखाने में जमा है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 13.11.2008 अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है। अतः हम अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश क्रमांक न्याय/08/8016 दिनांक 13.11.2008 क्रम संख्या 25 पर अंकित अपीलार्थी श्री रमेश पुत्र चतराराम वर्मा निवासी बाजनाखुर्द के नाम की हद तक निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या संख्या 6216/93/J&K बहाल किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली